बैंकों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों का पालन किया है और इस कार्यक्रम के तहत कितनी धनराशि का ऋण वितरित किया गया ; और

(ख) जिन बैंकों ने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1985 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 145.31 लाख उधार खातों के तहत कुल 5176.61 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये गये जो उनके कुल अग्रिमों का 11.4 प्रतिशत बैठते हैं । 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने के वास्ते, बैंकों को कोई खास लक्ष्य नहीं सौंपा गया है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

स्थानान्तरण और सेवानिवृत्ति पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को माल-भाड़े की सहायता

2951. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी राजपत्रित अधिकारी के सेवानिवृत्ति अथवा स्थानान्तरित होने की दशा में सरकार द्वारा उसे पूरा बोगी का किराया दिया जाता है जबकि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को केवल 600 किलो ग्राम तक का ही माल भाड़ा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियम कब बनाये गये थे तथा उस समय कर्मचारियों का वर्गवार ग्रेड क्या था ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले, स्थानान्तरण/सेवा-निवृत्ति होने पर व्यक्तिगत रूप से परिवहन की हकदारी निम्न प्रकार होती थी:—

(किलोग्राम)

ग्रेड	परिवार रहित	परिवार सहित
प्रथम	2240	1500
द्वितीय	1120	750
तृतीय	560	450
चतुर्थ	190	115

तीसरे वेतन आयोग ने भिन्न-भिन्न ग्रेडों के लिये सामान भत्ते की उच्चतर मात्रा की सिफारिश की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार निर्धारण कर दिया गया था । बाद में यात्रा भत्ते आदि के भुगतान संबंधित नियमों को सरल और तर्क-संगत बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था और उस पर संयुक्त परामर्शदाता तंत्र का राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श भी किया गया था । इस संदर्भ में परिवार रखने वाले और परिवार न रखने वाले सरकारी कर्मचारी के बीच के अन्तर को समाप्त कर दिया गया था और माल गाड़ी द्वारा ले जाने के लिये व्यक्तिगत सामान के निम्नलिखित मान निर्धारित किये गये हैं:—

(किलोग्राम)

ग्रेड	माल गाड़ी द्वारा ले जाये जाने वाले
प्रथम	6000
द्वितीय	3000
तृतीय	1500
चतुर्थ	1000

माल गाड़ी में चार पहियों वाला पूरा डिब्बा लेने वाले प्रथम श्रेणी अधिकारी को ले जाये गये भार का ध्यान रखे बिना रेलवे द्वारा वसूल किये गये वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

यात्रा भत्तें के प्रयोजन के लिये सरकारी कर्मचारियों का श्रेणी विभाजन वेतनमानों पर आधारित है और यह कई दशकों से लागू है । चौथे वेतन आयोग को यात्रा भत्तों के नियमों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संपूर्ण ढांचे की जांच करनी है ।

Collection of income tax in Bombay etc.

2952. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total amount of income-tax collected during the years 1980-81, 1981-82 and 1982-83 from Bombay, Pune, Nagpur and Aurangabad;

(b) what are the details of arrears of income-tax during the above years;

(c) what steps Goverment have taken to recover the arrears of income-tax from the above Centres;

(d) whether any firms which are in arrears of income-tax have been given loan by the various financial institutions during the above period; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) The requisite information is available according to Commissioners charges and is as under. The information is based on the telegraphic reports received from Commissioners of income-tax.

(in crores of Rupees)

Commissioner's charge	Collection of Income-tax (including Corporation tax) during the years		
	1980-81	1981-82	1982/83
Bombay	830·20	915·96	866·42
Nagpur	29·85	30·63	31·42
Pune	58·37	66·52	66·62

NOTE: There is no separate Commissioner charge at Aurangabad and the figures are included in Pune charge.

(b) The requisite information relating to Commissioners charge of Bombay, Nagpur and Pune is given in the statement (*See below*). The figures of Aurangabad are included in the figures of Pune charge.

(c) The Income-tax Act, 1961 provides for several steps for enforcing collection and recovery Tax in arrears' such as levy of penalty, attachment of monies due to the defaulter, distraint and sale of movable property, committing the defaulter to civil imprisonment etc. Depending upon the facts and circumstances of each case suitable steps are taken from time to time .

(d) and (e) The requisite information has to be collected from the assessment records as well as from the financial institutions, and its collection would involve considerable time and labour. If the Honourable Member desires to have such detail in respect of any particular firm the same will be furnished.